(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 32 / 2019 / राजस्व वाद

उनवान

1. कन्हैयालाल पि. हरलालजी जाति धाकड निवासी सुनेल तहसील सुनेल

– वादी

बनाम

2. देवबाई पि. हरलालजी जाति धाकड निवासी सुनेल तहसील सुनेल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री सुरेश नागर
वकील प्रतिवादीगण – श्री मतीन खान

निर्णय दिनांक : 19-11-2020

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम सुनेल पटवार मण्डल सुनेल की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 720 की आराजी किता 2 रकवा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं खाता सं. 721 की आराजी ख.नं. 2671 रकबा 2 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88 , 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी मृतक भंवरीबाई पुत्री केसरबाई के नाम खाते दर्ज थी। खाता सं. 720 की आराजी किता 2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि भंवरीबाई के फोती नामान्तरण दिनांक 02.08.2018 से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते दर्ज हुई एवं खाता सं. 721 की आराजी ख.नं. 2671 रकबा 2 बिस्वा भूमि के संबंध में फोती नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है। मृतक भंवरीबाई पुत्री केसरबाई के फोती नामान्तरण के समय वादी द्वारा नोटरी पब्लिक से दिनांक 09.04.2018 को तस्दीक हकत्याग शपथ पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु राजस्व कार्मिकों द्वारा इस बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किया। प्रतिवादी सं. 1 की शादी काफी वर्षो पूर्व हो चुकी है एवं इस आराजी में अपना हिस्सा लेना नहीं चाहती है। वादी द्वारा नकल लेने पर उक्त आराजी में हकत्याग का हवाला नहीं होने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः वाद वादी स्वीकार की जाकर ग्राम सुनेल जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 720 की आराजी किता 2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं खाता सं. 721 की आराजी ख.नं. 2671 रकबा 2

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.12.16 16:21:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

बिस्वा भूमि में दिनांक 09.04.2018 के हकत्याग शपथ पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री मतीन खान ने वकालातनामा प्रस्तुत कर स्वीकारात्मक जवाब दावा पेश कर वादी का वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

दौराने वाद दिनांक 29.10.2020 को उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर उनके मध्य हुये आपसी राजीनामा पत्र प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री करने की प्रार्थना की। पक्षकारान की पहचान उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वाद पत्र , जवाब दावा , राजस्व रिकार्ड व राजीनामा पत्र का अवलोकन किया गया एवं अभिभाषकगण द्वारा की बहस पर गौर किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम सुनेल जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 720 की आराजी किता 2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं खाता सं. 721 की आराजी ख.नं. 2671 रकबा 2 बिस्वा भूमि में दिनांक 09.04.2018 के हकत्याग शपथ पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम दर्ज किया जाने हेतु हकत्याग किया है परन्तु उक्त हकत्याग पत्र अनरजिस्टर्ड है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कम किये जाने से राजस्व हानि होगी।

अतः प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुनेल जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 720 की आराजी किता 2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं खाता सं. 721 की आराजी ख.नं. 2671 रकबा 2 बिस्वा भूमि के संबंध में पक्षकारान उप पंजीयक के यहां उपस्थित होकर उचित शुल्क जमा करवाकर रजिस्टर्ड हकत्याग करवाकर अनुतोष प्राप्त करें।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.12.16 16:21:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

(5)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 32/2019/राजस्व वाद

उनवान

1. कन्हैयालाल पि. हरलालजी जाति धाकड निवारी सुनेल तहसील सुनेल
– वादी

बनाम

1. देवबाई पि. हरलालजी जाति धाकड निवारी सुनेल तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल
–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री सुरेश नागर
वकील प्रतिवादीगण – श्री मतीन खान

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुदृदई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुनेल जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 720 की आराजी किता 2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं खाता सं. 721 की आराजी ख.नं. 2671 रकबा 2 बिस्वा भूमि के संबंध में पक्षकारान उप पंजीयक के यहां उपस्थित होकर उचित शुल्क जमा करवाकर रजिस्टर्ड हकत्याग करवाकर अनुतोष प्राप्त करें।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19-11-2020 को जारी की गई।

(उम्मेदसिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.12.16 16:21:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner